न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– **मृदुला शेखावत,** आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 32/2025

वादी :–

1. खुमाराम सैन पुत्र स्व. रामुराम जाति नाई (सैन) निवासी ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल निवास मार्ग सं. 3 राजीव नगर ए जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–वादी – श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी – सरकारी पेरोकार।

<u>निर्णय</u> **दिनांकः–** 01/10/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 217 रकबा 0.0243 हैक्टयर, खसरा सं. 218 रकबा 0.0647 हैक्टयर, खसरा नंबर 219 रकबा 6.4396 हैक्टयर कुल खसरा सं. 3 कुल रकबा 6.5286 हैक्टयर आई हुई है। जिसके खाता सं. चालु जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार नये 568 है। उपरोक्त खसरान की भूमि में वादी का 1/10 वां हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि ए से सम्बोधित किया जायेगा। इसी प्रकार बीनावास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 400 रकबा 0.8575 हैक्टयर आई हुई है। जिसके खाता सं. चालु जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार नये 142 है। उपरोक्त खसरान की भूमि में वादी का 1/5 वां हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है। जिसे वाद पत्र में आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि बी से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि ए व बी में वाद पत्र के पद सं. 1 व 2 में वर्णित वादी के हिस्से की भूमि पूर्व में वादी के पिता रामुराम पुत्र लिछमणराम के नाम दर्ज थी तथा वादी के पिता रामुराम फौत होने पर जरिये फोतेदगी म्यूटेशन वादी व उसके भाइ 'मोहन, मिसु, हरिराम, जगदीश का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2037 से 2039 में दर्ज किया गया। वादी को घर पर प्यार व स्नेह से गुमानराम के नाम से पुकारा जाता था वादी के पिता के फौतेदगी म्यूटेशन की कार्यवाही उसके उपरोक्त भाईयों द्वारा की गयी तथा वादी के उपरोक्त भाईयों द्वारा वादी के पिता का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करवाते समय वादी को घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम गुमानराम दर्ज चला आ रहा है जबकि वादी का सही नाम खुमाराम सैन है। जिसके संबंध में वादी ने सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, परिचय पत्र, परिवार राशनकार्ड, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, अंक तालिका कक्षा 8 वीं की, भारतीय स्टेट बैंक शाखा राईका बाग जोधपुर बैंक की खाता डायरी, जनआधारकार्ड इत्यादि वादपत्र के साथ पेश है। जिसमें वादी का सही नाम खुमाराम सैन दर्ज है। इसके अलावा राजस्व वाद सं. 185/2021 बअनवान खुमाराम बनाम राजस्थान सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय व डिक्री दिनांक 08.12.2021 व उसकी पालना में स्वीकृत म्यूटेशन सं. 1873 व जमाबंदी की नकल वाद पत्र के साथ पेश है। उक्त वाद में राजस्व ग्राम बीनावास में स्थित भूमि खसरा सं. 400/1 में वादी का उसके पिता फौत होने पर फौतेदगी म्यूटेशन के जरिये वादी के घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज किया गया नाम गुमानराम के स्थान पर वादी का सही नाम खुमाराम घोषित किया गया। इसलिए वादग्रस्त

कृषि भूमि ए व बी के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम गुमानराम के स्थान पर उसके उपरोक्त सरकारी दस्तावेजात के अनुसार सही नाम खुमाराम सेन दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अन्त में निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिनावास तहसील बिलाडा में स्थित भूमि खसरा सं. 217 रकबा 0.0243 हैक्टयर, खसरा सं. 218 रकबा 0.0647 हैक्टयर, खसरा नंबर 219 रकबा 6.4396 हैक्टयर कुल खसरा सं. 3 कुल रकबा 6.5286 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम गुमानराम पुत्र रामुराम हिस्सा 1/10 जाति नाई सा.देह खातेदार के स्थान पर सही/शुद्ध नाम खुमाराम सैन पुत्र रामुराम, हिस्सा 1/10 जाति नाई सा.देह खातेदार दुरूस्त किये जाने का आदेश/डिक्री फरमावें ।मुताबिक आदेश के अनुसार दुरूस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावें। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा में स्थित भूमि खसरा सं. 400 रकबा 0.8575 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2074-2077 में वादी का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला दर्ज नाम गुमानराम पुत्र रामुराम हिस्सा 1/5 जाति नाई सा.देह खातेदार के स्थान पर सही नाम खुमाराम सैन पुत्र रामुराम हिस्सा 1/5 जाति नाई सा.देह खातेदार दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमावें। मुताबिक आदेश के अनुसार दुरूस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बीनावास की स्थायी जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में खसरा सं. 217, 218 व 219 में वादी का नाम गुमानराम पुत्र रामुराम दर्ज है। ग्राम बीनावास की स्थायी जमाबंदी संवत् 2074-2077 में खसरा सं. 400 में वादी का नाम गुमनाराम पुत्र रामुराम दर्ज है। वादी वर्णित आराज़ियात में रामुराम पुत्र लिछमणराम की विरासत से अन्य वारीसान के साथ गुमनाराम पि.रामु दर्ज किया गया पटवारी हल्का बीनावास की जांच रिपोर्ट दिनांक 22.04.2025 अनुसार वादी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजों में खुमाराम सैन दर्ज है। इस आशय की माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बिलाडा वाद सं. 185/2021 में दिनांक 08.12.2021 को डिक्री भी जारी हुई है।

हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 22.04.2025 एवं पूर्व निर्णीत वाद सं. 185/2021 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गुमनाराम पि. रामुराम के बजाय खुमाराम सैन पि. रामुराम किये जाने की अनुशंषा की जाती है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र खुमाराम सैन पुत्र स्व. रामुराम का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 खसरा सं. 400, 217, 218, 219 ग्राम बीनावास की जमाबंदी, प्रदर्श 2 खसरा सं. 217, 218, 219 ग्राम बीनावास की पुरानी जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 3 आधारकार्ड, प्रदर्श 4 परिवार राशनकार्ड, प्रदर्श 5 पैनकार्ड, प्रदर्श 6 ड्राईविंग लाईसेन्स, प्रदर्श 7 कक्षा 8 वीं की अंकतालिका की प्रति, प्रदर्श 8 मूल वाद सं. 185/2021 खुमाराम बनाम राज्य सरकार में निर्णय दिनांक 08.12.2021 की प्रमाणित प्रति आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधारकार्ड, प्रदर्श 2 परिवार राशनकार्ड, प्रदर्श 3 पैनकार्ड, प्रदर्श 4 ड्राईविंग लाईसेन्स, प्रदर्श 5 कक्षा 8 वीं की अंकतालिका की प्रति, प्रदर्श 6 मूल वाद सं. 185/2021 खुमाराम बनाम राज्य सरकार में निर्णय दिनांक 08.12.2021 की प्रमाणित प्रति आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम खुमाराम सैन पुत्र रामुराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम गुमनाराम पुत्र रामुराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम खुमाराम सैन पुत्र रामुराम की घोषणा कराने की अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने गुमनाराम पुत्र रामुराम के स्थान पर खुमाराम सैन पुत्र रामुराम किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बीनावास के खसरा सं. 217 रकबा 0.0243 हैक्टयर, खसरा सं. 218 रकबा 0.0647 हैक्टयर, खसरा नंबर 219 रकबा 6.4396 हैक्टयर कुल खसरा सं. 3 कुल रकबा 6.5286 हैक्टयर तथा इसी प्रकार ग्राम बीनावास के खसरा सं. 400 रकबा 0.8575 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में गुमनाराम पुत्र रामुराम के स्थान पर खुमाराम सैन पुत्र रामुराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी :- **बनाम** **प्रतिवादीगण :-**
खुमाराम सैन सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :- 32/2025

निर्णय **दिनांक :-** 07/10/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बीनावास के खसरा सं. 217 रकबा 0.0243 हैक्टयर, खसरा सं. 218 रकबा 0.0647 हैक्टयर, खसरा नंबर 219 रकबा 6.4396 हैक्टयर कुल खसरा सं. 3 कुल रकबा 6.5286 हैक्टयर तथा इसी प्रकार ग्राम बीनावास के खसरा सं. 400 रकबा 0.8575 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में गुमनाराम पुत्र रामुराम के स्थान पर खुमाराम सैन पुत्र रामुराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुताबिक – **बाबत्** –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
म्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
म्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
म्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
स कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
तफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
जान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा